



### निबंधन प्रमाण - पत्र

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, 1966) की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन जारी किया गया।

प्रमाणित किया जाता है कि **SCIENCE & TECHNOLOGY COOPERATIVE SOCIETY LIMITED**

समिति लि० को सहकारी समिति के रूप में निबंधित करने के लिए श्री **SANKALP SINGH BOHRA**, (मु०प्र०) तथा अन्य द्वारा (उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965 उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, 1966) की धारा 6 के अधीन दिया गया प्रार्थना पत्र स्वीकृत किया गया है और उक्त समिति (निबंधन के लिए प्रार्थना पत्र के साथ प्रेषित उपविधियों सहित) उक्त अधिनियम के अधीन उक्त प्रार्थना पत्र में उल्लिखित शर्तों और उक्त अधिनियम तदन्तर्गत बनी नियमावली और जारी किये गये सामान्य या विशेष आदेशों तथा उक्त समिति की उपविधियों के उपबंधों के अधीन रहते हुए **LUCKNOW** जिले की संख्या **UPCR0000247** के रूप में निबंधित की गयी है।



संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबंधक,

सहकारिता  
LUCKNOW मंडल, LUCKNOW  
उप आयुक्त एवं उप निबंधक  
सहाकारिता  
लखनऊ मण्डल, लखनऊ